राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थी का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित अभिभाषक/अधिवक्ता का नाम
1.	2303/2024 परेश कुमार पालीवाल	1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय, सवाई माधोपुर। 4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय, गंगापुर सिटी। 5. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, लिवाली, गंगापुर सिटी।	15.07.2024	श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक
2.	2636/2024 भूपेन्द्र सिंह राजावत	1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय, टोंक। 4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चांदली, जिला टोंक।	27.08.2024	
3.	2637/2024 गुमान सिंह मीना			

आदेश की दिनांक : 28.08.2024

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 2303/2024 परेश कुमार पालीवाल बनाम प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

मामलों की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर उक्त समस्त अपीलों पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी परेश कुमार पालीवाल की नियुक्ति मृतक आश्रित सेवा नियमों के तहत चयन प्रक्रिया

अपनाकर प्रयोगशाला सहायक के पद पर जनवरी, 1992 में की गई थी। जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 25.01.1992 को कार्यग्रहण किया था। अपीलार्थी भूपेन्द्र सिंह राजावत की नियमित नियुक्ति दिनांक 16.03.1996 के आदेश के द्वारा की गई थी, जिसकी पालना में दिनांक 19.03.1996 को कार्यग्रहण किया। अपीलार्थी गुमान सिंह की नियमित नियुक्ति दिनांक फरवरी, 1999 में की गई थी, जिसकी पालना में दिनांक 08.03.1999 को कार्यग्रहण किया। अपीलार्थीगण की नियुक्ति नियमित थी, परन्तु प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थीगण की सेवाओं की गणना प्रथम नियुक्ति दिनांक से नहीं करते हुए ग्रीष्मावकाश के पश्चात् 01 जुलाई से करते हुए 10, 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान दिया गया। जबकि अपीलार्थीगण उक्त चयनित वेतनमान का लाभ प्रथम नियुक्ति दिनांक 18.01.1997, 19.03.1996 एवं 08.03.1999 से सेवाओं की गणना करते हुए प्राप्त करने के अधिकारी हैं तथा अपीलार्थीगण दिनांक 15.05.1992 से 30.06.1992 तक की अवधि का ग्रीष्मावकाश का वेतन भी प्राप्त करने के अधिकारी हैं। प्रत्यर्थीगण को अनेक बार निवेदन करने के बावजूद आज तक उक्त लाभ प्रदान नहीं किया गया है। प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थीगण को दिनांक 15.05.1992 से 30.06.1992 तक का ग्रीष्मावकाश का नियमित नियुक्ति होने के बावजूद अपीलार्थीगण को वेतन नहीं दिया गया है। जबकि अपीलार्थीगण ने उक्त अवधि में प्रत्यर्थीगण से अवकाश नहीं लिया। परन्तु राजकीय अवकाश होने के बावजूद प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थी की नियमित नियुक्ति होने के बावजूद अपीलार्थी की सेवाओं की गणना प्रथम नियुक्ति दिनांक से नहीं करते हुए ग्रीष्मावकाश के पश्चात् 01 जुलाई नियुक्ति वर्ष से करते हुए वार्षिक वेतन वृद्धि व चयनित वेतनमान का लाभ देने के आदेश आलौच्य आदेश के द्वारा दिये गये हैं तथा उक्तानुसार ही पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 में फिक्सेशन करने के आदेश जारी किये है।

अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अपीलार्थीगण की नियमित नियुक्ति क्रमशः दिनांक 10.12.1996, 19.03.1996 एवं 08.03.1999 से हुई थी, परंतु उनकी सेवाओं की गणना दिनांक 01 जुलाई नियुक्ति वर्ष से की गई है, जो सत्र के प्रारम्भ होने की दिनांक से गिनी जा रही हैं। जबकि अपीलार्थीगण के प्रथम नियुक्ति की तिथी से सेवाओं की गणना करनी चाहिये। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रकरण एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3534/2009 योगेश कुमार पारीक बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 20.01.2014 पारित कर याची की सेवाओं की गणना नियमित नियुक्ति की दिनांक

से किये जाने के निर्देश दिये हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने एक अन्य प्रकरण एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11147/2020 में उक्त न्यायिक दृष्टांत एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3534/2009 योगेश कुमार पारीक बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय को दृष्टितगत रखते अभ्यावेदन निर्णित करने के निर्देश दिये हैं। जबकि अपीलार्थीगण को उपरोक्त लाभ से वंचित रखा गया है जो नियम विरूद्ध है। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार करते हुये प्रत्यर्थीगण को निर्देश दिया जावें कि अपीलार्थीगण की सेवाओं की गणना क्रमशः प्रथम नियुक्ति दिनांक 10.12.1996, 19.03.1996 एवं 08.03.1999 से करते हुए 01 जुलाई नियुक्ति वर्ष से वार्षिक वेतनवृद्धि व आगामी समस्त वेतनवृद्धियां तथा 9, 18 व 27 वर्षीय चयनित वेतनमान व 5वें, 6वें, 7वें पुनरीक्षित वेतनमान में फिक्सेशन कर बकाया एरियर राशि मय 12 प्रतिशत साधारण ब्याज, ग्रीष्मावकाश नियुक्ति वर्ष का वेतन सहित अपीलार्थीगण को प्रत्यर्थीगण से दिलाया जावें तथा उक्त फिक्सेशन करने के पश्चात् फिक्सेशन अनुसार अपीलार्थीगण सम्पूर्ण परिलाभों का मय एरियर 12 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से दिलाया जावें।''

हमने अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपीलों के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थीगण आगामी 3 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रकरण एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3534/2009 योगेश कुमार पारीक

बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 20.01.2014 को ध्यान में रखते हुये आगामी 4 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करें और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थीगण को दें।

अतः उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती हैं।

मूल आदेश अपील संख्या 2303/2024 परेश कुमार पालीवाल बनाम प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य समस्त पत्रावलियों में इस आदेश की छाया प्रति संलग्न की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य